न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 70/17

1. मुकेश कुमार पुत्र हरिचरण जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल
2. श्यामस्वरूप पुत्र हरिचरण जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

1. हरिचरण पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. जिला कलक्टर साहब बारां जिला बारां

....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री दयाकृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 19.07.2007

निर्णय दिनांक : 15.02.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के पेतृक सम्पत्ति नया खाता संख्या 138 खसरा नं. 161 रकबा 7.50 है0 वाके ग्राम हिंगोनिया मे स्थित है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी कम 1 को विरासत मे प्राप्त हुयी है। वादीगण प्रतिवादी कम 1 के जायज वारिसान है जो प्रतिवादी कम 1 को विरासत मे प्राप्त आराजी खसरा नं. 161 रकबा 7.50 है0 में वर्णित में हिस्सा 1/3–1/3 प्रत्येक को आराजी पर खातेदार घोषित होने का कानून अधिकारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र अंकित आराजी में वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 19.07.2007 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 की और से दिनांक लिखित राजीनामा पेश किया गया है जिसमे प्रतिवादी कम 1 ने सहमति से वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3 दिये जाने मे कोई आपत्ति नही होना बताया है तथा तीनों को 1/3–1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का आदेश दिये जाने की अपील की है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 का राजीनामा शामिल पत्रावली है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी कम 1 की पेतृक आराजी खाता संख्या 138 खसरा नं. 161 रकबा 7.50 है0 मे से वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3–1/3–1/3 अलग–अगल करने निवेदन किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं संलग्न दस्तावेजो पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि वादीगण प्रतिवादी कम 1 के जायज वारिसान है तथा प्रतिवादी कम 1 को आराजी खाता संख्या 138 खसरा नं. 161 रकबा 7.50 है0 में हिस्सा 1/3–1/3 पृथक किये जाने में कोई आपत्ती नही है एवं प्रतिवादी कम 1 को उक्त आराजी विरासत मे प्राप्त हुई है लिहाजा ग्राम हिंगोनिया तह0 मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नं. 161 रकबा 7.50 है0 में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3–1/3–1/3 प्रत्येक को पृथक–पृथक खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली में निर्णय मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।